

**फार्म “क”**  
**राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की**  
**धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म**  
**भाग-1**  
**(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)**

क.स.	विवरण	कियान्वयन
1.	<u>परियोजना विवरण :-</u> क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।  ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। ग) परियोजना की लागत। घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	जनपद के <u>पूर्व Janki Chatti</u> , विकास खण्ड <u>Barkot</u> ... में RoW permission for laying Optical Fiber From - Barkot Band - Janki Chatti - Yamunotri (Total Length <u>५१.८ Km</u> ) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि <u>५१.८</u> हेतु वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु।  संलग्न है।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:-	रु १५९.५... लाख
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है। क) परिवारों की संख्या ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	नहीं  रून्य रून्य रून्य
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हाँ / नहीं)	हाँ
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	भारत सरकार / उत्तराखण्ड रासन द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लगायी जाने वाली समस्त शर्तों का पालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक.....  
 स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर



## भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7.	परियोजना स्कीम का स्थान	तनपद ..... के विकास खण्ड ..... में RoW permission for laying Optical Fiber From - Barkot Band - Janki Chatti - Yamunotri (Total Length Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि..... है। वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) को वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	ज़ज़ला	.....
(iii)	वन प्रभाग	..... वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टर में)	..... हैक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	..... हैक्टर, आरक्षित वन भूमि कालसी कक्ष सं-27 ..... हैक्टर सिविल सोयम भूमि ..... हैक्टर पंचायत वन भूमि ..... हैक्टर नापभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणाम (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिणाम और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष वाधित/प्रभावित होने निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	— —
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित कार्य स्थल सिविल एवं सोयम वन के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – ..... पर चस्पा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं। (यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक / कार्यदायी संस्था एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – ..... पर चस्पा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 – ..... पर चस्पा है।

		नहीं
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/ नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... से ..... पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	चूंकि अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... से ..... पर चस्पा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़ी भूमि पर उचित वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 पैमाने के टोपोशीट मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है। तथा स्थलीय / लोकशन मानचित्र प्राक्कलन के साथ संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेन्सी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित निर्माण कार्य के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रु० ..... (रु० ..... मात्र) का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... से ..... पर चस्पा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	हेतु रु० ..... (रु० ..... मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिधारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें )	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... पर चस्पा है।
12.	विभाग / जिला प्रोफाइल	वन प्रभाग / जिला - .....
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	वर्ग कि०मी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	वर्ग कि०मी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 469 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल 6333.92 है० वन क्षेत्र है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 4308.09 है० है।
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :— (ख) वनेतर भूमि पर:—	(क) 4308.09 है० है० (ख) 768.59 है० है०
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:— (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 4308.09 है० जिले के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) 768.59 है० है०
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रबन्धक क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक / कार्यदायी संस्था के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक: — 2017 |  
स्थान:—

नाम:—  
सरकारी मुहर

## भाग— ।।।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14— स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है  
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण  
किया है ? (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की  
तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट  
के रूप में संलग्न करें।
- 15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी  
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से  
सहमत है।
- 16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में  
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों  
के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षरः

तिथि.....  
स्थान.....

नाम और पदनाम  
सरकारी मोहर

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,  
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने  
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की  
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।  
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक  
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल  
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय  
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम  
सरकारी मोहर

स्थान :

## भाग—V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी  
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17— राज्य सरकार की सिफारिशः

(उपर्युक्त भाग— || या भाग— || | या

भाग—IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी

द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर

विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर